उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता व उसकी नकल के प्रति सचेत रहें

जोधपुर @ पत्रिका. गुणवत्ता को परखने वाले उत्तरदायी व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करते तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं पडती। यह बात राजस्थान उच्च न्यायलय के सेवानिवृत न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने कही। नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फोर सर्टिफिकेशन बॉडीज (एनएबीसीबी), क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कंज्यूमर कॉर्डिनेशन काउंसिल (सीसीसी) तथा उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति (उमस) के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को 'उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता' विषय पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने आयातीत माल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में मापदण्ड एवं क्रियान्वयन के लिए प्रभावी मापदण्ड न होने पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने उपभोक्ता संगठनों से इस विषय में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने के लिए प्रभावी विधान के लिए सरकार को सुझाव देने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही एनएबीसीबी की निदेशक शशी रेखा ने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तथा सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मरूधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संरक्षक सुनिल परिहार ने उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता तथा उसकी नकल से सचेत रहने को कहा। सीसीसी के अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव ने उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उमस जोधपुर के अध्यक्ष लियाकत अली ने उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में चलाने तथा उनको ग्रामीण सत्र तक ले जाने की बात कही। तकनीकी सत्र में एनएबीसीबी की निदेशक शशी रेखा, सहायक निदेशक अजय जैदका, मारूति सेवा समिति उदयपुर के अध्यक्ष प्रमोद झंवर, उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया (हनुमानगढ़) के अध्यक्ष संजय आर्य आदि ने विचार व्यक्त किए।